न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 22/2013

दायर दिनांकः– 16/01/2013
निर्णय दिनांकः– 05/07/2015

1:– श्री कलु पिता दितिया सरपोटा (मीणा) पेशा काश्त निवासी मटुवेट, पटवार हल्का बरबोदनिया, तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1:–श्रीमती नाथी पुत्री हुका मीणा पेशा काश्त निवासी मटुवेट, पटवार हल्का बरबोदनिया, तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2:–उपपंजीयन अधिकारी महोदय खण्ड सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
3:–लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत जारी किए जाने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा.टी.एक्ट।

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा मटुवेट में स्थित आराजीयात हाल जमाबंदी अनुसार जिसका खाता सं नया 30 व पुराना 29 है जिसका खसंरा नं 9,10,13,41,211 एवं 414 है जो कुल किता 6 है रकबा 9 बीघा (नौ बीघा) है। जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 की पैतृक संम्पत्ति है जो प्रतिवादी के पिता हुका मीणा के कब्जे खातें में आई है जिसकी खातेदार वारीस प्रतिवादी सं 1 एकमात्र है एवं अन्य खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है। वादी के दादाजी स्व. श्री हकरा मीणा के कुल 2 संताने हुई उसी के अनुसार हकरा ने अपनी पैतृक सम्पत्ति का 1/2 हिस्से में विभाजन किया था। एवं उसी के अनुसार उपरोक्त संम्पत्ति के खाता नंबर पडें जो खाता सं 30/29 है। जो प्रतिवादी सं 1 के पिता के हिस्से में आया एवं वर्तमान में प्रतिवादी के 2 भाईयों की मृत्यु हो चुकी है केवल प्रतिवादी ही वादग्रस्त आराजी की खातेदार होकर काश्तकार है। वादी के दादाजी ने संपूर्ण आराजी के 2 हिस्से किए थें उनके सभी खसंरा नंबर की भूमि एकचक होकर पास पास में स्थित है एवं जिन पर वादी एवं प्रतिवादी के पारिवारीक सदस्य काबिज होकर कृर्षि कार्य कर रहे है। जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप अथवा दखंलदाजी नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी सं 1 अपनी खातेदारी वादग्रस्त कृर्षि भूमि को विक्रय करना चाहती है परन्तु प्रतिवादी ने अपने पिता के हिस्से की कृर्षि भूमि को अपने कुटुंब परिवार के सदस्यों को विक्रय नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की योजना बना रही है। प्रतिवादी के हम पारिवारीक सदस्यों ने प्रतिवादी को काफी समझाया कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी अपने परिवार के ही किसी सदस्य को विक्रय करें किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करें। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि मेरी मर्जी के हिसाब से मै मेरें खाते की भूमि को विक्रय करूंगी आप लोग मुझे नहीं रोक सकते हों। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने कब्जे हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर स्वतंत्र रूप से शातिपूर्वक कृर्षि कार्य कर रहे है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की कोई दखलंदायी नहीं है यदि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करती हो तो वादी एवं उसके पारिवारीक सदस्यों के स्वतंत्र कब्जें एवं कृर्षि कार्य में अनावश्यक व्यवधान व दखलंदाजी उत्पन्न होगी जिससे वादी एवं उसके पारिवारीक सदस्यों को कृर्षि कार्य करने में असुविधा बनी रहेगी। क्योंकि वादग्रस्त आराजी एवं वादी की अन्य पैतृक आराजी के खेत पास पास में ही स्थित है। प्रतिवादी के खातें हिस्सें कि उक्त वादग्रस्त आराजी को वादी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

एवं उसके कुटुंबी सदस्य वर्तमान में प्रचलित बाजार दरों के अनुसार खरीदने को तत्पर है परन्तु फिर भी प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने के लिये आमादा है जबकि अन्य व्यक्ति जो क्रय मुल्य अदा करेगा वही मुल्य वादी भी अदा करने के लिये तत्पर है। वादी के स्वतंत्र कब्जें हिस्सें एवं कृर्षि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं हो इस कारण प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध न्यायहित में स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी यदि अपने हिस्सें कि भूमि विक्रय करना चाहती है तो केता के रूप में प्रथम अधिकार वादी अथवा वादी के कुटुंबी सदस्यों को दिया जावें क्योकि वादग्रस्त आराजी एवं अन्य पैतृक आराजी के खेत पास पास ही स्थित है ऐसी स्थिति में वादी के स्वतंत्र कब्जें काश्त में अन्य व्यक्ति द्वारा भविष्य में वाद–विवाद उत्पन्न होते रहने कि संभावना बनी रहेगी तथा अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दखलंदाज भी बना रहेगा। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय उसके पारिवारीक सदस्यों को जिसमें वादी भी सम्मिलित है नहीं किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिवादी विक्रय करना चाहती है जिस कारण से वादहेतुक उत्पन्न हुआ। अतः प्रतिवादी सं 2 उपपंजीयन अधिकारी होने से आदेशित किया जावें कि मूल वाद के निस्तारण तक यदि प्रतिवादी सं 1 वादग्रस्त आराजी का विक्रय वादी के अलावा एवं उसकी सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करती है तो वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रयनामा संपादित नहीं करें। प्रतिवादी सं 3 को दावें में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिनको आदेशित किया जावें कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को लेकर वादी एवं प्रतिवादी सं 1 के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होने देने के लिये प्रतिवादी सं 1 को पाबंद करावें कि वह वादग्रस्त आराजी का विक्रय वादी के अलावा किसी अन्य पक्षकार को नहीं करें। अतः प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेघाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावें। प्रतिवादी सं 1 के खाते की वादग्रस्त आराजी को यदि प्रतिवादी विक्रय करना चाहती है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करके वादी अथवा वादी के कुटुंबी सदस्यों को ही विक्रय की जावें ताकि वादी के स्वतंत्र एवं शातिंपुर्ण कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकें।

प्रतिवादी सं 1 नाथी पिता हुका सरपोटा उम्र 40 वर्ष निवासी मटुवेट, तहसील सागवाडा , जिला डूंगरपुर की ओर से जवाबदावा पेश किया गया कि मौजा मटूवेट में जो आराजियात हाल जमाबन्दी के अनुसार खाता सं नया 30 व पुराना 29 है जिसके खसंरा नम्बरान 9,10,13,41,211 एवं 414 जो कुल किता 6 रकबा 9 बीधा है परन्तु यह अस्वीकार है कि जिसकी खातेदार वारीस प्रतिवादी सं 1 नाथी अकेली हो बल्कि प्रतिवादी सं 1 का उसमें 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी सं 1 नाथी के सगे भाई स्व. हकरा मीणा के दो सन्तानें हुई एवं उसी अनुसार हकरा ने अपनी सम्पत्ति का 1/2 हिस्सें में विभाजन किया था एवं उसी के अनुसार उपरोक्त सम्पत्ति के खाता नम्बर पडें जो खाता सं 30/29 है जो प्रतिवादी सं 1 के पिता के हिस्सें में आया एवं वर्तमान में प्रतिवादी नाथी के दो भाईयों की मृत्यु हो चुकी है परन्तु यह कहना गलत होकर अस्वीकार है कि प्रतिवादी ही वादग्रस्त आराजी की खातेदार होकर काश्तकार हो अपितु वह उक्त आराजी के आधे हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी सं 1 नाथी के सगे भाई स्व. रामजी के गौदनशीन पुत्र श्री गटु खातेदार काश्तकार है एवं वह उसका कब्जा एवं स्वामित्व रखता है। प्रतिवादी सं 1 नाथी के सगे भाई रामजी ने अपने कोई पुत्र न होने की वजह से लम्बे समय से श्री गटू को गोदपुत्र की हैसियत से रखा था एवं दस्तावेज गौदनामा दत्तक पुत्र का रूपया 100/– के स्टाम्प पर लिखापढी करवाकर गवाहान के रूबरू उसकी रजीस्ट्री उपपंजीयक महोदय सागवाडा के समक्ष भी तहरीर एवं तकमील करवा दी थी एवं इसके बाद स्व. रामजी की मृत्यु उपरान्त उसके 1/2 हिस्सें की जमीन का नामान्तरकरण भी खोला गया एवं तदनुसार वर्तमान में उक्त गटु आधे हिस्से का कब्जा एवं स्वामित्व रखता है। वादी को किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं है कि वह प्रतिवादी के कब्जें एवं स्वामित्व की जगह पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान अथवा रोक लगाने का अधिकारी हो। वादी नाहक मनगढन्त तथ्य भविष्य के बारें में लेकर के आया है। जिसका वर्तमान से कोई सम्बन्ध नहीं है केवल मात्र कयास के आधार पर वादी को दावा लाने का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है । वर्तमान में न तो प्रतिवादी ने कोई खेत बेचे हे एवं न ही खेत बेचने की कोई योजना है एवं इस सब के बावजूद भी वादी हकशफा के सम्बन्ध में भविष्य की घटनाओं पर आधार बनाते हुए दावा लेकर

Scanned by CamScanner

आ गया है जो काश्त की आराजीयात पर हकशफा का अधिकार भी नहीं है एवं न ही उक्त दावा किसी भी रूप में चल सकता है। उस सब के बावजूद बिलकुल बेबुनियाद , आधारहीन , तथ्यहीन , मनगढन्त बातों को आधार बनाकर जो दावा वादी श्रीमान के समक्ष लेकर आया है वह सरासर त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है। वादी का दावा दर्ज होने की स्टेज पर ही निरस्त किया जाने योग्य है क्योंकि वादी भविष्य की घटनाओं को आधार बनाकर दावा लाया है। वादी ने उक्त जमीन वर्तमान में 1/2 हिस्सें की आराजियात के खातेदार काश्तकार श्रीमती नाथी के विरूद्ध ही पेश किया है परन्तु उसके आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार श्री गटू मुतबन्ना रामजी के विरूद्ध दावा पेश नहीं किया है एवं दावा पक्षकारों के अंसंयोजन में है। जिस वजह से दावा त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है। प्रतिवादीया श्रीमती नाथी के सगे भाई स्व. ने एक दस्तावेज गौदनामा दत्तक पुत्र का गत दिनांक 31.01.2011 को उपपंजीयक महोदय सागवाडा के समक्ष तहरीर एवं तकमील करवाया था एवं अपने हिस्सें की समस्त जमीन जायदाद को अपने कोई पुत्र न होने की वजह से श्री गटू को गौदनशील पुत्र लम्बें समय से होने से लिखापढी कर उसकी रजिस्ट्री करवाई थी एवं इस अनुसार दावा उक्त वादी कलु ने उक्त दस्तावेज गौदनामा को शुन्य एवं निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय व.ख. सागवाडा के समक्ष गत दिनांक 28.02.2013 को पेश कर दिया है जिसका मुकदमा नं 16/13 ई.दी. है एवं जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय में चल रही है जिस वजह से माननीय न्यायालय आपके द्वारा जो दावा वादी की ओर से चलाया जा रहा है वह गलत है जिस वजह से दावा त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है। वादी कलु ने अपने सगे भाई ताजु के पुत्र मोहन के द्वारा भी इसी आशय का एक दावा मुकदमा नं 23/13 रेवेन्यू मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मुकदमा नं 5/13 रेवेन्यू का पेश करवाया है एवं उस दावे के तथ्य व प्रस्तुत दावे के तथ्य बिलकुल समान है एवं इस वजह से समानान्तर दो दावे श्रीमान के समक्ष एक ही दिनांक 14.01.2013 को पेश किये गये है एवं प्रस्तुत दावे में इसका जरा भी अंकन अथवा जिक्र नहीं किया गया है एवं वादी के द्वारा श्रीमान के समक्ष तथ्यों को छुपाया गया है। एवं इस प्रकार वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है जिस वजह से दावा त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है। प्रतिवादीया नाथी के सगे भाई स्व. रामजी के द्वारा दस्तावेज गौदनामा तहरीर एवं तकमील करवाने के बाद स्व. रामजी की मृत्यु उपरान्त श्रीमान पटवारी साहब पटवार हल्का बरबोदनिया के द्वारा नामान्तरणकरण भी खोला गया है एवं वर्तमान जमाबन्दी में उक्त गटू का नाम आधे हिस्से की जमीन पर दर्ज है परन्तु वादी के द्वारा पटवारी, पटवार हल्का बरबोदनिया को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस वजह से दावा त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है प्रस्तुत दावा हक शफा के बाबत लाया है परन्तु पुरे दावे में वादी के द्वारा कोई भी विक्रय मुल्य नहीं दर्शाया है एवं न ही वादी के द्वारा यह कहा गया है कि वह उक्त विक्रय मुल्य की राशि अदा करने के लिये तैयार है जिस वजह से दावा त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है। अतः वादी का दावा सव्यय निरस्त फरमाया जावें ।

वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अतः शहादत वादी समाप्त की गई । प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में श्रीमती नाथीबाई पुत्री हुका मीणा निवासी मटूवेट का शपथ–पत्र पेश किया (DW1), गवाह प्रतिवादी के बयान दर्ज करवाएं गए। पत्रावली का अवलोकन किया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है। –

तनकी सं 01:– आया वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी नं 1 की पैतृक होने से वादी प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि वह कुटुम्बी सदस्यों के अतिरिक्त भूमि का विक्रय अन्य किसी को नहीं करें।

–जिम्में वादी–

निर्णयः–वादी के अनुसार वाद में निवेदन किया गया है कि खाता सं 30 खसंरा सं 9,10,13,41,211 व 414 कुल किता 6 व कुल रकबा 9 बीघा वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। कलम सं 02 के अनुसार प्रतिवादी सं 1 अपने पिता हुका की एकमात्र वारिस होकर खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं 01 भूमि को वादी को विक्रय न कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर रही है। अतः उसे ऐसा करने से रोका जावें। प्रस्तुत साक्ष्य एवं नियमों के प्रकाश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी खातेदार काश्तकार को अपने कब्जें की भूमि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

विक्रय करने से रोक सकें । न ही वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा सिद्ध होता हों अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी सं 02:– आया प्रतिवादी नं 01 द्वारा वर्तमान में न तो कोई खेत बेचे है न ही खेत बेचने की कोई योजना है। वादी घटनाओं पर आधार वाद बनाकर लाया है अतः खारिज योग्य है।–

–जिम्में प्रतिवादी–

निर्णयः– प्रतिवादी द्वारा अपने बयान एवं जवाब में यह कथन किया है कि , मौजा मटूवेट में खाता सं 30 खसंरा नं 9,10,13,41,211व 414 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 के सगे भाई स्व. श्री रामजी के गोदनशीन पुत्र का है। गोदनामा रजिस्टर्ड है। वादी का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक नही बनता है। वादी द्वारा अपने दावे कि प्रतिवादी सं 1 अपना हिस्सा अन्य को विक्रय करना चाहती है इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी सं 1 किसका भूमि विक्रय कर रही है उसका भी उल्लेख नहीं है अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी सं 03:– आया वर्तमान में 1/2 हिस्सें की आराजियात के खातेदार काश्तकार श्रीमती नाथी के विरूद्ध ही पेश किया है किन्तु आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार श्री गटू मुतबन्ना रामजी के विरूद्ध दावा पेश नहीं किया है। दावा पक्षकारों के उक्त योजना में है जिस वजह से दावा त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्ती के है।

–जिम्में प्रतिवादी–

निर्णयः– वादी द्वारा प्रतिवादी के जवाबदावे के जवाब उल जवाब में यह कथन किया है कि , प्रतिवादी सं 01 के संग भाई स्व. रामजी द्वारा गटू को गोद लिया गया है वह गोदनामा फर्जी है तथा गोदनामा निरस्ती हेतु वाद सिविल न्यायालय में पेश किया गया है अतः उसे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु इस संदर्भ में यह तथा महत्वपूर्ण है कि, वर्तमान में गोदनामा प्रभावी है तथा गटू वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है अतः उसे पक्षकार बनाना आवश्यक था जबकि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी किया जाता है।

आदरसी :– प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन पश्चात प्रतिवादी का प्रतिदावा डिक्री किया जाता है। वादी को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी न करें। निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner